

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आ.५०एल०आर०
 आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार

क्षेत्रीय शासक हरिप्रताप जमाबन्दी 2075-78 कारा संख्या 47, 92, 93, 109 के अन्तर्गत
 54, 48, 24, 3 पर हेमराज पु. शोपाल लिखित कर के लिये पत्रावली के परचा
 पत्रावली के आर हेमराज पु. शोपाल लिखित कर के लिये पत्रावली के परचा

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागोडजी

दिनांक :-

क्रमांक : राजस्व/2020/

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक
 का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अपेक्षा की जाती है।

दुरुस्त किया जाना उचित है

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागोडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक क्लर्क उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू (राज.)

:- आदेश :-

दिनांक :- 14/12/21

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू०अ०)
 उदयपुरवाटी/गुढागोडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में
 निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागोडजी को राजस्व
 रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्बत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	हरिप्रताप	2075-78	47 92 93 109	हेमराज पु. शोपाल	हेमराज पु. शोपाल

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की
 जाना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 14/12/21

क्रमांक :- राजस्व/2020/ 2240

लिपि :-

1. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागोडजी को वारसी पालनाथ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया को सूचना

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी